महत्वपूर्ण एवं खास

पशु चिकित्सा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर संयुक्त जांच दल गठित

जांच कार्यवाही के संबंध में 28 जून को प्रस्तुत कर सकते है साक्ष्य/दस्तावेज

रायगढ़। कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़ में चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि स्वच्छकर्ता/परिचारक सह चौकीदार के पद पर वर्ष 2012 में संपादित भर्ती प्रक्रिया में महिला/विकलांग आरक्षण का पालन नहीं होने तथा अन्य अनियमितताओं की शिकायत हेतु संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त जांच दल द्वारा सर्व संबंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जांच कार्यवाही की जा रही है, यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो या कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहें तो कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 21 में कार्यालयीन समयावधि में 28 जून 2024 को प्रस्तुत कर सकते है।

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

रायगढ़। जिले के नदियों-नालों, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के लिए तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) निर्मित किये गये हैं, ऐसे सभी जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक मत्स्याखेट पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में मत्स्याखेट करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास या 10 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। सहायक संचालक मछली पालन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि(प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम की धारा के तहत 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। यह नियम केवल छोटे तालाब या जल स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

पद्म पुरस्कार के लिए मंगाए गए 18 जून तक ऑनलाईन आवेदन

रायगढ़। भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत 'पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कार 2025 के लिए निर्धारित पात्रता एवं मापदण्ड के अनुरूप स्पष्ट अनुशंसा सहित योग्य/पात्र व्यक्तियों के नामांकन प्रस्ताव 18 जून 2024 तक ऑनलाईन https://padmaawards.gov.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए है। उप संचालक समाज कल्याण, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जैसे-कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, विज्ञान और इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/ सेवा के लिए प्रदाय किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति/ व्यवसाय हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इन पुरस्कारों से संबंधित विधान नियमावली वेबसाईट https://padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है। अत: जिले के निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुरूप योग्य/पात्र व्यक्ति ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र 18 जून 2024 तक प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति जिला कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, जिला-रायगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है।

13 जून को होगा पीईटी और पीपीएचटी परीक्षा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला प्रशासन के प्रयास से सारंगढ़ में सीजी व्यापमं का दो परीक्षा केंद्र बनाया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा गुरुवार 13 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक और पीपीएचटी परीक्षा आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी सीजी व्यापमं की वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in/ (व्यापम डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओव्ही डॉट) से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सारंगढ़ के पंडित लोचन प्रसाद पांडेय कालेज और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल (सेजेस) को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें कुल 600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (अभ्यर्थी और व्यापम कॉपी), मूल पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त परिचय पत्र, आदि में से कोई एक) के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिला एवं तहसील स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित

- कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07762-223750 पर दे सकते है सूचना
- डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आगामी मानसून-2024 में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था के संबंध में जिला एवं तहसील मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला कार्यालय रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 42 में जिला स्तरीय बाढ़ आपदा राहत कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 07762-223750 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, बाढ़ आपदा राहत शाखा रेखा चन्द्रा मोबा.नं.97528-06153 को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम में नगर सैनिकों को तैनात किया गया है। जिनका मोबाइल नंबर 99775-54625, 62616-85052, 93299-55828 एवं 97552-01526 है। इसी प्रकार तहसील मुख्यालयों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसमें तहसील रायगढ़ का कंट्रोल रूम नंबर 07762-359145 है, जिसमें नायब तहसीलदार गिरीश निम्बालकर को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है, जिनका मोबा.नंबर 7999907939 है। इसी तरह तहसील पुसौर का कंट्रोल रूम नंबर 81098-72374 है एवं कंट्रोल रूम प्रभारी तहसीलदार नेहा उपाध्याय मोबा. नं.73893-60406, तहसील खरसिया का कंट्रोल रूम नंबर 07762-299907 एवं कंट्रोल रूम प्रभारी तहसीलदार शिवकुमार डनसेना मोबा.नं.79877-12715, तहसील घरघोड़ा का कंट्रोल रूम नंबर 95894-79014 एवं कंट्रोल रूम प्रभारी नायब तहसीलदार विकास जिंदल मोबा.नं.70009-47541, तहसील तमनार का कंट्रोल रूम नंबर 62605-09907 एवं कंट्रोल रूम प्रभारी तहसीलदार ऋचा सिंह मोबा. नं.80857-44738, तहसील लैलूंगा का कंट्रोल रूम नंबर 62612-88808 एवं कंट्रोल रूम प्रभारी नायब तहसीलदार हिमांशु सिंह मोबा.नं.62612-88808, तहसील मुकडेगा का कंट्रोल रूम नंबर 70676-74660 एवं कंट्रोल रूम प्रभारी नायब तहसीलदार रश्मि पटेल मोबा.नं.70676-74660, तहसील धरमजयगढ़ का कंट्रोल रूम नंबर 07766-266232 एवं कंट्रोल रूम प्रभारी तहसीलदार भोजकुमार डहरिया मोबा.नं.62673-23260 तथा तहसील छाल व कापू का कंट्रोल रूम नंबर 79873-00466 है जिसमें तहसीलदार नंदकिशोर सिन्हा को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है जिनका मोबा.नं.79873-00466 है।

मलेरिया मुक्त रायगढ़ जिला बनाने के संबंध में हुई समीक्षा बैठक

रायगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया माह जून सह मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ के सभाकक्ष में किया गया। जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी ने विकासखण्डों से आये समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को मच्छर के प्रजाति से लेकर मलेरिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मलेरिया कार्यक्रम की रूपरेखा सन् 1953 से लेकर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2004 से अब तक की मलेरिया उन्मूलन हेतु किए गए संपूर्ण भारतवर्ष में मलेरिया प्रकरणों की खोज एवं निदान कार्यों के बारे में बताया ताकि मलेरिया को नियंत्रण के साथ-साथ मलेरिया मुक्त रायगढ़ जिला बनाया जा सके।

जिले के समस्त विकासखण्डों को मलेरिया माह जून के अवसर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित करने एवं बैनर, पोस्टर एवं अन्य संदेश के माध्यम से निचले स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही रायगढ़ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया माह जून के उपलक्ष्य में वृहद कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत वर्षों के आंकड़ों को मद्देनजर रखा जाए तो पूरे राज्य में मलेरिया प्रकरणों में वृहद कमी देखने को मिली है, साथ ही रायगढ़ जिले में विगत पांच वर्षो से मलेरिया के केश में कमी पायी गयी है।

डॉ.कुलवेदी ने सभी को मलेरिया शंकास्पद जांच की ओर विशेष ध्यान देने एवं पाजीटिव केश आने पर तत्काल इलाज कर फालोअप करते हुए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास एवं जनसामान्य के सहयोग से बहुत जल्द ही रायगढ़ जिला को मलेरिया मुक्त जिले के रूप में घोषित कर सकेंगे। बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक पीडी बस्तिया, एफएलए प्रीति शर्मा, व्हीबीडीटीएस गौतम प्रसाद सिदार एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

खेल पुरस्कार के लिए 30 जून तक मंगाए गए आवेदन

- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को प्रदाय किए जायेंगे पुरस्कार

रायगढ़

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह, शहीद पंकज विक्रम सम्मान एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि, डाईट मनी वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु आवेदन 30 जून 2024 तक मंगाये गये है।

सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों/ प्रशिक्षकों/निर्णायकों को प्रदान किये जाते हैं।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त विजेताओं को प्रोत्साहन नियम के तहत नगद राशि पुरस्कार अलंकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (01 अप्रैल से 31 मार्च तक 02 वर्ष का) में जिन खिलाडियों ने सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है वे खिलाड़ी कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण जिला-रायगढ़ से आवेदन फार्म प्राप्त कर 30 जून 2024 तक संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जी.ई. रोड रायपुर में अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। पुरस्कार हेतु आवेदन वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए आमंत्रित किया गया है, अत: खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/निर्णायकों को प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। उपरोक्त विभिन्न पुरस्कार एवं ट्रॉफी हेतु आवेदन विभागीय वेबसाईट http://sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है एवं अधिक जानकारी के लिए कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण जिला-रायगढ़ में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।

मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास में आरोपियों को भेजा रिमांड पर

रायगढ़

दिनांक 10.06.2024 की रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली को मोबाइल पर गुजराती पारा में लड़ाई झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई। थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोलिंग को मौके पर रवाना कर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। मारपीट से आहत हुये सत्यजीत घोष (45 साल) निवासी गुजराती पारा रायगढ़ को उनके परिजनों द्वारा ईलाज हेतु अशर्फीदेवी महिला चिकित्सालय ले गये, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आहत को जिला अस्पताल (केजीएच) में भर्ती कराया गया। अस्पताल तहरीर जांच पर आहत ने बताया कि दिनांक 10.06.2024 की रात्रि करीब 10.30 बजे मुख्य डाक घर के पीछे दो अज्ञात युवक गाली गलौच करते हुए लोहे की राडनुमा वस्तु से सिर के पीछे मारकर चोंट पहुंचाये हैं, आहत के बयान, मुलाहिजा रिपोर्ट पर अज्ञात दो व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 11.06.2024 को थाना कोतवाली में अप.क्र. 353/2024 धारा 294, 307, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक द्वारा आहत, गवाह द्वारा आरोपियों के बताये हुलिए, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक कर मुखबीरों से जानकारी ली गई और आरोपियों का धरपकड़ किया गया। शीघ्र ही दो संदेही - विनायक सिंह निवासी बैकुंठपुर मिर्चागली कोतरारोड़ एवं योगेश चौहान उर्फ सानू निवासी बावलीकुंआ के पास कोतरारोड़ को हिरासत में लिया गया जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर मौक़े पर वाद विवाद होने से दोनों मिलकर मारपीट करना स्वीकार कर योगेश चौहान उर्फ सानू द्वारा लोहे के रॉड से आहत के सिर के पीछे मारकर चोट पहुंचाना, बताये हैं। आरोपियों का आहत से पहचान कार्यवाही कराकर आरोपियों को आज गिरफ्तर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी - (1) योगेश चौहान उर्फ सानू पिता विनोद कुमार चैहान (उम्र 22 साल) निवासी कोरारोड़ बावलीकुंआ के पास रायगढ़ थाना कोतवाली, जिला रायगढ़ (2) विनायक सिंह पिता विनोद सिंह (उम्र 19 साल) कोतरारोड़, बैकुंठपुर मिर्चागली थाना कोतवाली, जिला रायगढ़

हत्या के फरार आरोपी को पूंजीपथरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, आरोपी गया जेल

रायगढ़

लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पूंजीपथरा पुलिस ने उड़ीसा बॉर्डर पालीघाट के पास दबिश देकर पकड़ा, जिसे आज हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल को वृंदावती धनवार निवासी पूंजीपथरा द्वारा थाना पूंजीपथरा में मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट दर्ज कर बतायी कि धनीराम कॉलोनी में सविता उर्फ संतोषी पति चित्रसेना साहू उम्र 43 वर्ष निवासी ऊपरपारा थाना – पूंजीपथरा उसके पति चित्रसेन साहू और तीन माह के बच्चे के साथ रहती थी। 19 अप्रैल को चित्रसेन साहू कॉल कर बताया कि सविता के साथ 18 अप्रैल को मारपीट किया है, सविता घर में सोई है। तब अपने पति के साथ जाकर सविता को देखी, सविता ने चित्रसेन साहू के मारपीट करने से चल फिर नहीं पाना और चित्रसेन को इलाज के लिए डॉक्टर खोजने गया है बताई। तब इन्हें डॉक्टर बुला रहे हैं कहकर अपने घर वापस आ गई थी, थोड़ी देर बाद जाकर देखी तो सविता की मौत हो चुकी थी। चित्रसेन को फोन कर किराए मकान पर बुलाये, चित्रसेन अपनी पहली पत्नी के साथ आया और सविता के बच्चे को लेकर दोनों पति-पत्नी भाग गए। थाना पूंजीपथरा में मर्ग क्रमांक 27/2024 धारा 174 सीआरपीसी कायम कर मर्ग जांच पर दिनांक 21/04/2024 को आरोपी चित्रसेन साहू के विरुद्ध अप.क्र. 109/2024 धारा 302 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना के बाद से आरोपी चित्रसेन फरार था जिसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा मुखबीर लगा रखे थे। आज आरोपी को पालीघाट क्षेत्र में देखे जाने की सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर बताया कि वर्ष 2018 से प्रेम संबंध बनाकर सविता उर्फ संतोषी मांझी को पत्नी की तरह किराया मकान में रखा था जिसकी ओर से एक 03 माह का बच्चा है, सविता द्वारा शराब पीने से मना करने और बार बार पैसे मांगने की जीद से परेशान होकर 18 अप्रैल को झगड़ा मारपीट पर सविता को हाथ मुक्का से मारपीट किया और रोटी बनाने वाले बेलन से सविता के सिर, सीना में मारकर चोट पहुंचाया था। आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर आरोपी पतासाजी,गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार, आरक्षक बालचंद राव, आदिकंद प्रधान और उमाशंकर भगत की विशेष भूमिका रही है।

पुरानी रंजिश पर रास्ता रोककर मारपीट, लूटपाट करने वाले 3 युवक गिरफ्तार

- चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपियों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़

थाना चक्रधरनगर में ग्राम भोजपल्ली निवासी प्रसन्न कुमार गुप्ता (उम्र 65 वर्ष) द्वारा गांव के दिनेश शर्मा और चार युवकों द्वारा रास्ता रोककर मारपीट, लूटपाट करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि 10 जून के रात्रि जेएमजे अस्पताल में भर्ती अपने बेटे के लिए घर से खाना लेकर अपनी इंडिगो कार से अस्पताल आ रहा था, रात्रि करीब 09.30 बजे गांव के प्राथमिक स्कूल भोजपल्ली के पास गांव के दिनेश शर्मा, अमित साहू, अमन गुप्ता, भोलानाथ खड़िया और चंद्रहास किसान मिलकर गाड़ी को रोके और कार नीचे उतारकर गाली गलौज करते मारपीट किये तथा इसके जेब में रखे रु.11,500 लूटकर भाग गए, रिपोर्टकर्ता के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 292/2024 धारा 341, 395 आईपीसी का अपराध कायम कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया जिसमें पुलिस ने आरोपी अमन गुप्ता, चंद्रहास किसान, भोलानाथ खड़िया को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश पर दिनेश शर्मा और अमित साहू के साथ घटना कारित करना स्वीकार किये हैं।

चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी अमन गुप्ता से रु.900, चंद्रहास किसान से रु.1000 तथा भोलानाथ खड़िया से रु.1000 की जप्ती की गई है, आरोपियों ने कुछ रकम को खाने पीने में खर्च कर देना बताए हैं। गिरफ्तार आरोपी- (1) अमन गुप्ता पिता गौतम गुप्ता उम्र 25 साल निवासी विश्वनाथपाली थाना चक्रधरनगर (2) चंद्रहास किसान पिता सनत राम किसान उम्र 24 साल (3) भोलानाथ खड़िया पिता सुखदेव खड़िया उम्र 24 साल दोनों निवासी भोजपल्ली थाना चक्रधरनगर को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के दो नामजाद आरोपी दिनेश शर्मा और अमित साहू फरार है, चक्रधरनगर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर लगा रखी है।

यौन शोषण की रिपोर्ट पर चक्रधरनगर पुलिस ने की त्वरित कार्यवाई, आरोपी को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

दिनांक 11/06/2024 को थाना चक्रधरनगर में स्थानीय युवती द्वारा शिशुपाल सेठ (उम्र 21 वर्ष) निवासी थानाक्षेत्र चक्रधरनगर के विरुद्ध पिछले 2 साल से शारीरिक शोषण करने संबंधी आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के दिशा निर्देशों पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पीड़िता का महिला विवेचक से एफआईआर कराकर, युवती का विस्तृत कथन, मेडिकल आदि की कार्यवाही किया गया तथा आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिये तत्काल दबिश देकर हिरासत में लिया गया जो अपराध दर्ज होने की जानकारी पाकर भागने की फिराक में था। आरोपी शिशुपाल सेठ को पुलिस ने अपराध कायम के 24 घंटे के भीतर न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

पीड़िता ने बताया कि शिशुपाल डिलीवरी बॉय का काम करता है जिसे जानती पहचानती है। 2 साल पहले रात्रि में शौच के लिए मैदान गई थी, जहां शिशुपाल उसे डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया और इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मार देने की धमकी दिया। गांव में बदनामी के डर से किसी को नहीं बताई। शिशुपाल इसी तरह डरा धमका कर पिछले 2 साल से शारीरिक संबंध बना रहा है। युवती ने बताया कि शिशुपाल के घर वालों को शिशुपाल की हरकतें बताई तो डांट फटकार किये। घटना समय युवती नाबालिक थी। युवती के लिखित आवेदन पर आरोपी शिशुपाल सेठ पर अपराध क्रमांक 293/2024 धारा 376(2)(ढ), 506 भादवि 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्रवाई में थाना चक्रधरनगर के उपनिरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण, युवती के आवेदन पर चक्रधरनगर पुलिस ने की त्वरित कार्यवाई

- दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं पर आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़

09 जून को थाना चक्रधरनगर में थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती अपने परिजनों के साथ थाना आकर ग्राम गोर्वधनपुर में रहने वाले निखिल (22 साल) पर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट आवेदन देकर दर्ज कराया गया।

पीड़ित युवती ने बताया कि वर्ष 2020 से निखिल को जानती है, उसकी बहन के माध्यम से निखिल से जान परिचय हुआ था। निखिल से बातचीत होती थी और निखिल पसंद करता हूं शादी करूंगा बोला था। मई 2020 को निखिल शहर घूमने जाने के लिए बहाने से बुलाया और अपने घर ले जाकर शादी करने का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध बनाया। युवती ने बताया कि उस समय वो नाबालिग थी। बालिग होने पर घरवालों को निखिल के बारे में बताई, तब घरवाले निखिल के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गये थे, निखिल और उसके घरवाले शादी के लिए राजी थे पर अब निखिल शादी से इंकार कर मरने-मारने की धमकी देता है। युवती के आवेदन पर आरोपित निखिल पर अप.क्र. 285/2024 धारा 376(2)(ढ),366,506 आईपीसी, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। नाबालिग एवं महिला संबंधी अपराधों की समयसीमा में विवेचना को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप तत्काल चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी निखिल पिता दयानिधि, 22 साल गोवर्धनपुर थाना चक्रधरनगर के घर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिसे न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर अपराध कायमी के 06 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव, उपनिरीक्षक गेंद लाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480